न्यायालय सहायक कलक्टर एवं पदेन उपखण्ड अधिकारी
पीपाड़ शहर जिला जोधपुर

पीठासीन अधिकारी, श्री नेमा राम आर.ए.एस.
राजस्व प्रार्थना पत्र संख्या – 238/2025
जीसीएमएस सं. – 2025/322

प्रार्थीगण : — बनाम — **अप्रार्थीगण :**

प्रार्थीगण :
1. ढगलाराम पुत्र हेमाराम जाति जाट निवासी लवारी तहसील पीपाड़ शहर

बनाम

अप्रार्थीगण :
1. हरचन्द्र पुत्र सुखाराम जाति जाट निवासी लवारी तहसील पीपाड़ शहर
2. प्रबंधक स्टेट बैंक ऑफ इण्डिया शाखा पीपाड़ शहर
3. भूमिधारी जरिये तहसीलदार, पीपाड़ शहर ।

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251 (क) राज. काश्तकारी अधिनियम

उपस्थित अधिवक्ता — **दर्ज दिनांक 03/07/2025**
श्री ओमप्रकाश कच्छावाह प्रार्थी की ओर से
श्री रामकिशोर सांखला अप्रार्थी सं. 1 की ओर से

निर्णय

दिनांक : 18/12/2025

प्रार्थी ने एक राजस्व प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251 क राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत प्रस्तुत किया है कि प्रार्थी ग्राम लवारी का स्थायी मूल निवासी है। प्रार्थी कृषि कार्य, पशुपालन, मजदूरी करके अपने परिवार का पालन पोषण करता आया है। ग्राम लवारी की राजस्व सीमा में प्रार्थी की खातेदारी कब्जासुद्दा कृषि भूमि खसरा नम्बर 302 क्षेत्रफल 4.7200 हैक्टेयर किस्म बारानी खसरा नम्बर 303 क्षेत्रफल 0.1519 हैक्टेयर किस्म बारानी भूमि आई हुई है। प्रार्थी की भूमि खसरा नम्बर 302, 303 पर आने जाने हेतु कट्टाणी रास्ता खसरा नम्बर 305 से सबसे नजदीकी व सुलभतम रास्ता खसरा नम्बर 300 की भूमि में पूर्वी सीमा में से रास्ता प्रार्थी के खेत खसरा नम्बर 302 व 303 पर आने जाने हेतु सबसे नजदीकी रास्ता है जिस रास्ता की चौडाई करीब 20 फुट दिलाने का निवेदन किया गया। उक्त वादग्रस्त रास्ता को संलग्न नजरी नक्शे मे लाल स्याही के मध्य दर्शाया गया है। संलग्न नजरी नक्शे को प्रार्थना पत्र का अभिन्न अंग माना जावे। प्रार्थी की भूमि खसरा नम्बर 302 व 303 पर आने जाने हेतु सबसे नजदीकी व सुलभतम रास्ता खसरा संख्या 300 में से ही है। वादग्रस्त रास्ता के अलावा प्रार्थी के खेत में आने जाने हेतु आवागमन का अन्य कोई वैकल्पिक रास्ता नहीं है। एकमात्र रास्ता वादग्रस्त रास्ता ही है। वादग्रस्त रास्ता की चौड़ाई 20 फुट रखते हुए वादग्रस्त रास्ता को राजस्व रेकर्ड में रास्ता घोषित किये जाने का निवेदन किया गया। वादग्रस्त रास्ता को संलग्न नजरी नक्शे में लाल स्याही के मध्य दर्शाया गया है उक्त रास्ते से प्रार्थी के खेत में आने जाने का सबसे नजदीकी व सुलभतम रास्ता को राजस्व रेकर्ड में रास्ता घोषित किया जावे। प्रार्थी नियमानुसार न्यायालय के आदेशानुसार अप्रार्थी

सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी
पीपाड़ शहर (जोधपुर)

संख्या एक को वादग्रस्त रास्ता की भूमि की कीमत अदा करने को तैयार है। अतः प्रार्थनापत्र मय शपथपत्र पेश कर न्यायालय हाजा से विन्रम निवेदन है कि प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार फरमाया जाकर प्रार्थी के खेत खसरा नम्बर 302 व 303 में आने जाने हेतु खसरा नम्बर 300 की पूर्वी सीमा में 20 फुट चौड़ाई में वादग्रस्त रास्ता को राजस्व रेकर्ड में रास्ता घोषित किया जावें एवं राजस्व रेकर्ड में रास्ता अमल दरामद किये जाने का आदेश फरमावें।

हमने प्रार्थी के प्रार्थना पत्र को दर्ज रजिस्टर किया, अप्रार्थीगण को नोटिस जारी किये गये । अप्रार्थी संख्या 02 का समन बाद तामिल अनुपस्थित होने पर उनके विरूद्व एक पक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गई। अप्रार्थी सं. 01 की ओर से अधिवक्ता रामकिशोर सांखला ने जवाब पेश किया जिसके अनुसार प्रार्थी की राजस्व ग्राम लवारी में खसरा नम्बर 302 क्षेत्रफल 4.7200 हैक्टेयर किस्म बारानी खसरा नम्बर 303 क्षेत्रफल 0.1519 हैक्टेयर किस्म बारानी भूमि आई हुई है। प्रार्थी के खातेदारी कब्जासुद जमीन के चिपते उत्तर की तरफ प्रार्थी के सगे भाई अरविन्द कुमार पुत्र हेमाराम जाति जाट की खातेदारी कब्जाशुदा जमीन खसरा नम्बर 306 रकबा 5.1899 हैक्टेयर भूमि आई हुई है। खसरा नम्बर 306 में आने जाने हेतु गै मु कटाणी रास्ता खसरा नम्बर 305 चलता है तथा प्रार्थी अपने भाई के खेत खसरा नम्बर 306 में से पश्चिमी सीमा से होकर अपने खेत खसरा नम्बर 303 व आगे 202 में आता जाता है जो राजस्व रेकर्ड में तरमीमसुदा रास्ता है। प्रार्थी व प्रार्थी के भाई अरविन्द कुमार पुत्र हेमाराम ने एक ही खसरे के बंटवाड़ा के समय खसरा संख्या 306 में से पश्चिमी सीमा से होकर प्रार्थी के खेत खसरा नम्बर 303, 302 तक रास्ता रखा जो रास्ता मौके पर रास्ता के रूप में विद्यमान है तथा सर्वे रिसर्वे पश्चात् नजरी नक्शा में भी रास्ता के रूप में खसरा नम्बर 306 में से पश्चिमी सीमा से प्रार्थी के खेत खसरा नम्बर 303, 302 तक तरमीम दर्शायी हुई है जिससे होकर ही प्रार्थी अपने खेत खसरा नम्बर 303, 302 में आता जाता है। प्रार्थी ने गलत रूप से खसरा नम्बर 300 में से वादग्रस्त रास्ता बताकर अप्रार्थी संख्या 01 को तंग परेशान करने की नियत से गलत नजरी नक्शा पेश किया है। अतः प्रार्थी द्वारा खसरा संख्या 300 में से रास्ता हेतु प्रस्तुत प्रार्थना पत्र खारिज किये जाने का निवेदन किया गया।

अप्रार्थी तहसीलदार पीपाड़ शहर ने मौका कमिश्नर रिपोर्ट प्रस्तुत की जिसके अनुसार उपस्थित पक्षकारान की मौजुदगी में मौका निरीक्षण किया गया जिसमें अन्य कोई वैकल्पिक रास्ता नही होना पाया गया । उपरोक्त नजरी नक्शा अनुसार मौका पर रास्ते हेतु प्रस्तावित भूमि खसरा नम्बर 300 रकबा 106.08 वर्गमीटर प्रस्तावित रास्ते की भूमि के डी.एल.सी. दर की दुगुनी राशि प्रार्थी द्वारा देय होगी।

सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी
पीपाड़ शहर (जोधपुर)

हमने बहस वकुलाय सुनी। वकील प्रार्थी ने अपनी बहस में पुनः निवेदन करते हुए कहा कि प्रार्थी को ग्राम लवारी के खसरा नम्बर 303, 302 में आने जाने हेतु अप्रार्थी के खेत खसरा नम्बर 300 मे से सबसे निकटतम रास्ता मौका फर्द में दर्शाये अनुसार दिये जाने का निवेदन किया। वकील अप्रार्थी ने अपनी बहस में अप्रार्थी की ओर से प्रस्तुत जवाब के बिन्दुओं को दौहराते हुए उक्त प्रार्थना पत्र खारिज फरमाये जाने का निवेदन किया गया।

हमने पत्रावली व पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजों, जवाब वकील अप्रार्थी एवं तहसीलदार पीपाड़ शहर की मौका कमिश्नर रिपोर्ट का अवलोकन एवं उस पर मनन किया गया जिसके अनुसार ग्राम लवारी के खसरा नम्बर 303, 302 में आने जाने हेतु अप्रार्थी के खेत खसरा नम्बर 300 मे से सबसे निकटतम रास्ता मौका फर्द में दर्शाये अनुसार दिया जाना उचित प्रतीत होता हैं।

अतः राजस्व ग्राम लवारी के खसरा नम्बर 303, 302 में आने जाने हेतु अप्रार्थी के खेत खसरा नम्बर 300 में तहसीलदार पीपाड़ शहर द्वारा प्रस्तुत कमिश्नर रिपोर्ट में दर्शाये अनुसार कुल क्षेत्रफल 0.0106 हैक्टयर भूमि को रास्ते के उपयोग हेतु घोषित की जाती है । तहसीलदार पीपाड़ शहर रास्ते के काम आयी कुल भूमि 0.0106 हैक्टयर भूमि की मालियत राशि की नियमानुसार दुगुनी राशि की गणना करे एवं अप्रार्थी गणना अनुसार चैक/डी.डी. अप्रार्थी के नाम से तहसीलदार पीपाड़ शहर के समक्ष जमा करावे ।

तहसीलदार पीपाड़ शहर को आदेश दिया जाता है कि गणना अनुसार राशि का चैक/ डी. डी. प्रार्थी से प्राप्त कर अप्रार्थी/राजकोष में जमा करावें एवं रास्ते की भूमि की तरमीम राजस्व नक्शे में करें इस आशय की तहरीर तहसीलदार पीपाड़ शहर के नाम जारी हो । मौका कमिश्नर रिपोर्ट व उसमें संलग्न मौका फर्द एवं नजरी नक्शे को निर्णय का अंग समझा जायें खर्चा पक्षकारान अपना अपना वहन करें ।

(नेमा राम)
उपखण्ड अधिकारी
पीपाड़ शहर
सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी
पीपाड़ शहर (जोधपुर)

निर्णय आज दिनांक 18/12/2025 को खुले न्यायालय में लिखवाया जाकर सरे ईजलास सुनाया गया। पत्रावली फैसल शुमार होकर जाब्ता दाखिल दफ्तर हों।

(नेमा राम)
उपखण्ड अधिकारी
पीपाड़ शहर
सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी
पीपाड़ शहर (जोधपुर)